**सि. प्र. सं. की धारा 151 के अधीन वादी के आवेदन पत्र का प्रतिवादी का उत्तर**

न्यायालय......................

वादी...........................

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

.

श्रीमान् जी:

प्रतिवादीगण सादर निम्नलिखित रूप में निवेदन करते हैं :

1. आवेदन पत्र के पैरा 2 का प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है
2. यथाकथित आवेदन पत्र का पैरा 2 गलत है और उसका प्रत्याख्यान किया जाता है वादी के अधिवक्ता भी आदेश 39 नियम 1 & 2 के अधीन आवेदन पत्र पर मामले पर बहस करने के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि अधिवक्तागण हड़ताल पर है।
3. यथाकथित आवेदन पत्र का पैरा 3 गलत है और उसका प्रत्याख्यान किया जाता है। इस बात का प्रत्याख्यान किया जाता है कि न्यायालय के बेलिफ बिना किसी कारण के प्रतिवादियों को वाद परिसर का कब्जा सौंपने का वादी को निर्देश दिया। वास्तव में न्यायालय के बोलिफ........................................की न्यायालय में वादी के विरुद्ध प्रतिवादियों द्वारा दाखिल किये गये निष्पादन के अधीन कब्जे की मांग की। यह अभिकथन करना मिथ्या है कि वादी के पास निष्पादन कार्यवाहियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और निष्पादन कार्यवाहियों में न्यायालय की किसी नोटिस की तामील नहीं करायी गयी है वास्तव में, वादी को निष्पादन में तामील करायी गयी है और वादी ने ................... की न्यायालय के समक्ष आक्षेप दाखिल किया जिन्हें खारिज कर दिया गया और इस आदरणीय न्यायालय के समक्ष दाखिल किये गये वादपत्र में भी कथित तथ्य को स्वीकृत किया जा चुका है कि निष्पादन वादी के विरुद्ध प्रतिवादियों द्वारा दाखिल किया गया।
4. आवेदन पत्र के पैरा 4 गलत है तथा प्रत्याख्यान किया जाता है। इस बात का प्रत्याख्यान किया जाता है कि प्रतिवादी गण दिल्ली.... .......... की न्यायालय के समक्ष कपट एवम चाल चल करके वाद परिसरों का कब्जा ग्रहण करने का प्रयास कर रहा है जबकि वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 & 2 के अधीन आवेदन पत्र के साथसाथ स्थायी व्यादेश के लिए एक वाद दाखिल किया है।
5. आवेदन पत्र का पैरा 5 गलत है और उसका प्रत्याख्यान किया जाता है। चूंकि वादी ने उस समय प्रतिवादियों को कब्जे का परिदान नहीं किया जब न्यायालय के बेलिफ........................की न्यायालय द्वारा जारी किये गये निष्पादन के वारण्टों में कब्जे की मांग की और वादी ने विवादग्रस्त परिसरों का दरवाजा बन्द कर दिया और शान्ति भंग होने और संज्ञेय अपराधों के कारित किये जाने की संभावना थी इसलिए न्यायालय के बेलिफ ने इस प्रभाव के कब्जे के वारण्टों पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि कब्जे के वारण्टों का टालो एवम् शटरों को तोड़े बिना और आवश्यक पुलिस सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादियों ने पुलिस सहायता की मंजूरी हेतु तथा श्री.. ..................... की न्यायालय के समक्ष तालों एवम् शटरों को तोड़कर खोलने की अनुज्ञा हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और न्यायालय..................दिल्ली ने आदेश किया है कि कथित आवेदन पत्र उसी समय सुना जायेगा जब मामला नियत किया जाता है और तत्पश्चात् साक्ष्य कथित न्यायालय द्वारा नियत की जाने वाली तारीख पर कथित आवेदन पत्र अभिलिखित किया जायेगा। ऐसे रूप में, वादी को कोई अपूर्णनीय हानि एवम् क्षति का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि............... के महीने में कम से कम निकट भविष्य में वारण्टों के जारी किये जाने की कोई संभावना नहीं होती है।
6. आवेदन पत्र का पैरा 6 गलत है और उसका प्रत्याख्यान किया जाता है।
7. आवेदन पत्र का पैरा 7 गलत है उसका प्रत्याख्यान किया जाता है।
8. आवेदन पत्र का पैरा 8 गलत है और उसका प्रत्याख्यान किया जाता है।

प्रार्थना खण्ड का प्रत्याख्यान किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 & 2 के अधीन आवेदन पत्र अभी भी लम्बित है। इसलिए प्रस्तुत आवेदन पत्र को गलत समझा जाता है

और पोषणीय नहीं है। कोई भी अनुतोष प्रस्तुत आवेदनपत्र में मंजूर नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतएव, यह प्रार्थना की जाती है कि प्रस्तुत आवेदन पत्र खर्च सहित खारिज कर दिया जाय। कोई अन्य अनुतोष जो यह आदरणीय न्यायालय उचित समझे वे भी प्रतिवादियों को मंजूर किये जायें।

**दिल्ली :**

**दिनांकित :**

**प्रतिवादीगण**

**जरिये**

**सत्य प्रतिलिपि**

**अधिवक्ता**